मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) विधेयक, २०१८

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) अधिनियम, २०१८ है. — संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये ग्यारह हजार एक सौ नब्बे करोड़ चौंतीस लाख सैंतालीस हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. — वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,११,९०,३४,४७,७०० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. — विनियोग.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	४१,३१,२००	०	४१,३१,२००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	१,५०,८९,००,०००	०	१,५०,८९,००,०००
		पूंजी	१,४०,६२,००,०००	०	१,४०,६२,००,०००
०५.	जेल				
		राजस्व	२,३०,००,०००	०	२,३०,००,०००
०६.	वित्त				
		पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	८१,००,००,१००	०	८१,००,००,१००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	२५,५०,००,०००	०	२५,५०,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
१०.	वन				
		राजस्व	१,६२,२०,६७,०००	०	१,६२,२०,६७,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	२००	०	२००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	१,००,००,००,१००	०	१,००,००,००,१००
१८.	श्रम				
		राजस्व	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	९,५०,००,००,१००	०	९,५०,००,००,१००
		पूंजी	३००	०	३००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
		पूंजी	२,६८,०१,१५,९००	०	२,६८,०१,१५,९००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	१३,४०,००,००,०००	०	१३,४०,००,००,०००
		पूंजी	४००	०	४००
२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	८,५००	०	८,५००

(१)	(२)		(३)	
		रुपये	रुपये	रुपये
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	७,५००	०	७,५००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	२००	०	२००
	पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	१९,८४,४६,७४,६००	०	१९,८४,४६,७४,६००
२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	२,१४,५०,०००	०	२,१४,५०,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	६५,७२,९९,६००	०	६५,७२,९९,६००
३०.	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	३००	०	३००
	पूंजी	३००	०	३००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	२,०८,९३,५००	०	२,०८,९३,५००
३३.	जनजाति कार्य			
	राजस्व	६,११,४०,००,३००	०	६,११,४०,००,३००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व	५००	०	५००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)			
	राजस्व	२,९९,००,००,०००	०	२,९९,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	१४,००,००,०००	०	१४,००,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	१०,४००	०	१०,४००
४७.	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार				
		राजस्व	१,०१,००,००,७००	०	१,०१,००,००,७००
		पूंजी	३००	०	३००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	०	**३,२०,००,०००**	३,२०,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	४,८४,४०,००,०००	०	४,८४,४०,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	१००	०	१००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१४,१५,४७,७९,०००	०	१४,१५,४७,७९,०००
		पूंजी	६१,००,७९,५००	०	६१,००,७९,५००
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	५,७४,२५,५४,७००	०	५,७४,२५,५४,७००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
		पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	६,८४,४७,००,०००	**२५,६०,७२,१००**	७,१०,०७,७२,१००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		पूंजी	३०,१५,००,१००	०	३०,१५,००,१००
	योग :	**राजस्व** :	१,०१,२१,७४,५२,४००	**२५,६०,७२,१००**	१,०१,४७,३५,२४,५००
		पूंजी :	१०,३९,७९,२३,२००	**३,२०,००,०००**	१०,४२,९९,२३,२००
		वृहद-योग :	१,११,६१,५३,७५,६००	**२८,८०,७२,१००**	१,११,९०,३४,४७,७००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २४ जून, २०१८.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.